भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 135
सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

घरेलू कामगारों के अधिकार

135. **श्री सुदामा प्रसाद:**
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश भर में घरेलू कामगारों से कम भुगतान, शोषण और बुनियादी श्रम अधिकारों से वंचित किए जाने के संबंध में की गई शिकायतों के आंकड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दस वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्षवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी सुविधा के लिए ऐसा तंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू कामगारों के लिए मजदूरी, कार्य स्थितियां, सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण को विनियमित करने हेतु कोई केंद्रीय कानून बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार यह मानती है कि किसी प्रवर्तनीय कानूनी ढांचे के अभाव में, घरेलू कामगार न्यूनतम मजदूरी कानूनों के दायरे से बाहर हैं और दुर्व्यवहार या मजदूरी नहीं मिलने की स्थिति में निवारण प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं; और

(ङ) क्या सरकार का इरादा घरेलू कामगार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के कन्वेंशन संख्या 189 का अनुसमर्थन करने का है और यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया किया है, जो घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जो आधार से जुड़ा हुआ है। ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के पंजीकरण के लिए यह पोर्टल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है। दिनांक 16.07.2025 तक, घरेलू कामगारों सहित 30.94 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ई-श्रम पर पंजीकृत हैं।

जारी..2/-

बजट घोषणा, वर्ष 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप- सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम - "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 14 योजनाएं ई-श्रम के साथ पहले ही एकीकृत/मैप की जा चुकी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) शामिल हैं।

नई अधिनियमित श्रम संहिताएँ, जैसे वेतन संहिता, 2019, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू कामगारों सहित सभी श्रेणियों के कामगारों हेतु सभ्य कार्यदशाएँ, वेतन, व्यावसायिक सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती हैं। घरेलू कामगारों के शोषण को रोकने और वेतन को विनियमित करने के लिए, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, अत्याचार निवारण (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, 1 989 और बीएनएस, 2023 जैसे विभिन्न कानून लागू हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण सहित उनके कामकाज को विनियमित करने की सलाह दी गई है। ऐसी एजेंसियों से संबंधित शिकायतों का निपटारा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बीएनएस या अन्य प्रचलित अधिनियमों के प्रावधानों के तहत किया जाता है, जिनके तहत ऐसे प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं। निजी प्लेसमेंट एजेंसियों से संबंधित मुद्दों पर समय-समय पर समितियों का गठन किया गया है तथा मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के आचरण को विनियमित करके कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए परामर्श जारी किए हैं।

भारत ने घरेलू कामगारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) कन्वेंशन संख्या 189 का अनुसमर्थन नहीं किया है। भारत में हमेशा से यह प्रथा रही है कि भारत सरकार किसी कन्वेंशन का अनुसमर्थन तभी करती है जब उसे पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि हमारे कानून और प्रथाएँ संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन के अनुरूप हैं।

*****